न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 56/2017

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

गगन बुडानिया पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

..... वादी

बनाम

1. मूल चंद पुत्र स्व० लाधुराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानग
2. उदमी राम पुत्र श्री लाधुराम निवासी शंकर कालोनी, श्रीगंगानगर ।
3. हरीश पुत्र श्री लाधु राम जाति जाट निवासी मुठियावाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

4/1. सुमेस्ता पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4/2. उमेश बुडानिया पुत्र स्वव सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

4/3. सुदेश बुडानिया पुत्र स्वव सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासीयान दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4/4. अनामिका पुत्री स्व० सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
6. वेदप्रकाश पुत्र वृजलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धु	वादी
अधिवक्ता श्री विजय रेवाड	प्रतिवादी 1 ता 4, 6
पैरोकार राज	(प्रति.5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 18.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी स०1 वादी का छुव पिता है तथा प्रतिवादीगण 2 ता 4 वादी के चाचा है । वादी के पर दादा स्व० बीभाराम पुत्र किशनाराम के नाम से चक 7 क्यु तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 25/13 मुरबा न0 40 के 25 बीघा खतिदारी दर्ज था। वादी के पर दादा बीझाराम का देहान्त होने के उपरान्त उक्त रकबा का विरास्तन इतकाल उसके पुत्रों लाधुराम, वृजलाल, बिहारीलाल व जगराम तथा पत्नि सोना देवी के नाम से जरिए इतकाल नं० 27 दिनांक 20–10–77 को दर्ज किया गया। सोना देवी का देहान्त हो गया उसके जायज वारिस उक्त चार पुत्र होने से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्तकाल होकर चारे पुत्रों के नाम से दर्ज किया गया। इसके इलावा उक्त रकबा मु० न० 40 जो कि जद्दी जायदाद था, की आय से अन्य रकबा जो बनाया गया वह भी इन चारों के नाम से दर्ज किया गया जैसाकि जमाबन्दी 2062–65 में जिसकी नकल शामिल है, दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार से अपीलान्ट के परदादा स्व० बीझा राम के नाम से चक 6 क्यू तहसील गंगानगर के खाता स० 18/4 मुरबा नम्बर 22 में 18 बीघा 4 बिस्वा खातेदारी दर्ज था

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2033 ता 36 की नकल शामिल है तथा बीझाराम के देहान्त के बाद उक्त रकबा का इन्तकाल विरास्तन व उसके द्वारा अपने जीवन काल मे विभाजन करके अपने पुत्रों को रकबा देने के कारण इतकाल न० 40 दिन कि 20–10–77 से उसके उकत चार पुत्रों के नाम से दर्ज किया गया। जमाबन्दी स० 2033 ता 36 व इतकाल की नकल शामिल है तथा जमाबन्दी सम्वत 2062–65 मे उसके चारों पुत्रो के नाम से दर्ज हुआ जमाबन्दी की नकल शामिल है। वादी के दादा लाधुराम का देहान्त हो गया उस की वंशावली निम्नप्रकार से है जो कि दावा के सही निर्णय के लिए आवश्यक है। वादी के परदादा उव दादा उके नाम से दर्ज भूमि व उसकी आय से बनाई गई भूमि जो कि जददी जायदाद है। वह प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम से निम्न प्रकार से खातेदारी दी कागजात है जमाबन्दी की नकले दोनो चकों की शामिल हाजा है।

चक 7 क्यु तहसील गंगानगर की आराजी

खाता स० 42/48 मुरबा न० 40 का किला नम्बर 4/2(0.127), 5/1(0–190), 6/2(0–190), 7/1(0–126), 14/2(0–127) 15/1(0–190), 16/2(0–190), 17/2 24/2, 25/1, कुल 1–583 है० बारानी, मु0न057 की 0–885 है० कुल 2–468 है०

चक 6 क्यु तहसील गंगानगर की आराजी

चक 6 क्यु के खाता स० 5135 मुरबा न० 22 की 4–236 है मुरबा न0 25 को 0–253 है कुल 4.606 है० मे से 2–607 है०(मुश्तर का खाता में दर्ज शेष 1.999 है प्रतिवादी स०6 के नाम से)

यहकि प्रतिवादी स०1 ता 4 ने चक 7 क्यु की आराजी मे से मुरबा नं0 57 की 0–885 है० का बेचान कर दिया गया इस प्रकार से शेष आराजी मु0न0 40 की 1–583 है० खतिदारी दर्ज है। अतः दोनो चकों की आरजी में से प्रतिवादी स० 1 ता 4 के नाम से 4–190 है० खातेदारी दर्ज है। जिसमे वादी के पिता प्रति 1 का 1/4 हिस्सा बनता है जो कि जद्दी जायदाद होने चौथी पीढ़ी में आने व प्रतिवादी संख्या 1 का अकेला पुत्र होने से उसका अपने पिता की भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है अर्थात 4–190 हेक्टर के 1/4 हिस्सा मे से 1/2 हिस्सा बनता है। हालाकि प्रतिवादी स० 1 ने 0.885 हैक० में से 1/4 हिस्सा का बैचान किया है वह उसको बिना जरूरत जायज बिना मुफाद खानदान के मुंतक्लि करने का अधिकार नहीं था तथा उस में भी वादी का हक हिस्सा बनता था तथा जो रकबा प्रतिवादी संख्या 1 ने बेचान किया वह अपने हिस्सा में से बेचान किया। उसका हक 4.190 है० 1/4 हिस्सा में से प्रति0 1 के 1/2 हिस्सा में से ही काटा जाना आवश्यक है मगर वह इस के लिए अधिकार को सुरक्षित रखता है। प्रतिवादी स०1 गलत लोगों की संगत में है गलत आदतो का शिकार हो रहा है तथा वह अपने नाम से दर्ज उक्त दोनो चको की कुल भूमि 4.0190 है के 1/4 हिस्सा को भी गलत तौर से मुंतक्लि करने की कोशिश में है जबकि जद्दी जायदाद होने से वादी का जन्म से हक हिस्सा बनता है तथा अगर किसी भूमि को मुंतक्लि किया जाता है तो वादी अपने हक हिस्सा से वचिंत होगा व गलत मुकदमा बाजी में फस जावेगा। अतः वादी के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। अपने अधिकारी की घोषणा करवाना तथा विभाजन करवाकर अपना हिस्सा किला वाईज अलग करवा कर दर्ज करवाना मामला लगान कायम करवाना जरूरी हो गया है। रकबा मुश्तरका चला आ रहा है अतः विभाजन होने पर किला वाईज ही दर्ज करवाया जाना करते है जिससे कि वादी सुधार करवाकर लाभ उठा सके। वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

ने प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह चक 7 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मुरबा न० 10 की किलावाईज भूमि जो 1.583 है० प्रति० 1 का 4 के नाम से दर्ज है तथा चक 6 क्यू के मुरबा न० 22–25 की कुल 4.606 है० में से 2.607 है मुश्तरका खाता में दर्ज है अतः कुल 4.190 हैक्टर में प्रति 1 के 1/4 हिस्सा मे वादी को 1/2 हिस्सा की जददी जायदाद होने व जन्म से हक हिस्सा होने से खातेदार काश्तकार व हकदार मान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाए तथा खाता का विभाजन करवाकर किला वाईज भूमि वादी की दर्ज करवाते हुए मामला लगान कायम करवाए तथा वादी के हिस्सा की भूमि को वादी के कब्जा कास्त में मदाखलत करने जबरन बदखल करने किसी को रहन बैय करने से बाज व ममनु रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 12–4–17 को साफ इन्कारी है। अतः यही विनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रतिवादी सा0 5 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार से व खाता का विभाजन करवाना आवश्यक होने से आवश्यक पक्षकार उसको पक्षकार बनायागया है। लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रति निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावेः–

(क) डिक्री घोषणा अमर की सादिर की जावे कि चक 7 क्यु तहसील गंगानगर के खाता स० 42/48 मुरबी न० 40 का 1.583 है० किला वाईज वाद पत्र की मद 5 में दर्ज 1.583 हैक. व चक 6 क्यु तहसील गंगानगर के खाता स०51/35 मु0न0 22–25 की कुल 4.606 है0 में से 2.607 है0 कुल दोनों चकों का 4.190 है० जो प्रति0 1 का 4 के नाम से दर्ज है जददीजायदाद होने से प्रतिवादी स०1 का इसमें 1/4 हिस्सा में वादी अकेला पुत्र होने से व भूमि चौथी पीढी में आने से वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। अतः उसको प्रति01 के 1/4 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) दोनो चको की उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाया जाकर वादी के हिस्सा यानि 4.190 है० में से प्रति0 1 के 1/4 हिस्सा मे से वादी के 1/2 हिस्सा को किला वाईज दर्ज करने ममला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) डिक्री स्थाई निषेधाता इस अमर की सादिर की जाये कि प्रति० वादी के हिस्सा कब्जा की भूमि में मदालखत करने, किसी को रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे।

(ड) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.05.2024 को वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति से हस्तगत प्रकरण के साथ अन्य प्रकरण गगन बुडानिया बनाम उदमी राम प्रकरण संख्या 201/2023 को इस प्रकरण के साथ समेकित किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार हम मिकरान के मध्य कृषि भूमि के सम्बंध में वाद संख्या 56/2017 वाद अनवानी गगन बुडानिया बनाम मूलचंद वगैरा व वाद संख्या 201/2023 वाद अनवानी गगन बुडानिया बनाम उदमीराम वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर में मुकदमें चल रहे है, अब हम मिकरान का आपस में एक ही परिवार के होने के कारण तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान की भूमि चक 5 क्यू, 6 क्यू, व 7 क्यू में स्थित है परिवार बढ़ जाने के कारण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अलग–अलग चको में सभी की भूमि होने के कारण कृषि करने में काफी दिक्कते आ रही थी जिस कारण हम पक्षकारान द्वारा रजामंदी से एक दुसरे चक की अपनी हक हिस्सा की भूमि का तबादला किया गया है ताकि कृषि कार्य एवं कृषि सुधार में कोई दिक्कत ना आये, जिसके अनुसार हम मिकरान ने कृषि भूमि का निम्न प्रकार से पारिवारिक समझौता/घरू बंटवारा किया है–

(1)चक 7 क्यू तहसील श्रीगंग नगर के खाता संख्या 6/42 मुरब्बा नम्बर 40 की 1.583 हेक्टेयर कृषि भूमि में मूलचंद के नाम से दर्ज 396/1583 हिस्सा में से मुलचन्द्र द्वारा अपने पुत्र गगन बुडानिया को 1/2 हिस्सा भूमि दे दी गई है उक्त भूमि का कब्जा भी दे दिया गया है।

(2) चक 6 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/5, मुरब्बा नम्बर 22, 25 व 10 की 4.606 हेक्टेयर कृषि भूमि में से हरीश पुत्र लाघुराम द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि 326/2303 हिस्सा व सुमेस्ता पत्नी स्व0 सुभाषचन्द्र, उमेश बुडानिया पुत्र स्वव सुभाषचन्द्र, सुदेश बुडानिया पुत्र सुभाषचन्द्र, अनामिका पुत्री स्व० सुभाषचन्द्र प्रत्येक द्वारा अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि 93/2632 हिस्सा(हरीश व सुमेस्ता, उमेश, सुदेश, अनामिका कुल 4.10 बीघा) उक्त 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी गगन बुड़ानिया व प्रतिवादी मूलचंद के हक में बहिस्सा बराबर दे दी गई है तथा कब्जा भी दे दिया है शेष भूमि 1/2 वीघा प्रतिवादी उदमीराम पुत्र लाधुराम के हक में छोड दिया है तथा कब्जा भी संभला दिया है।

वेदप्रकाश पुत्र बृजलाल द्वारा अपने हिस्सा की चक 6 क्यू की कृषि भूमि 1999/4606 हिस्सा अर्थात 1.999 हैक0 भूमि वादी गगन बुडानिया व प्रतिवादी मूलचंद पुत्र स्व0 लाधुराम के हक में बहिस्सा बराबर छोड दी है तथा कब्जा भी सूपुर्द कर दिया है।

(3) चक 5 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/6, मुरब्बा नम्बर 36, 42, 43 में कुल 12.012 हेक्टेयर भूमि में वादी गगन बुडानिया के नाम 1501/12012 हिस्सा व प्रतिवादी मूलचंन्द के नाम 751/6006 हिस्सा (अर्थात 12 बीघा) दर्ज है जिसमें से दोनों ने बहिस्सा बराबर 9 बीघा भूमि प्रतिवादी वेद प्रकाश को दे दी है, तथा शेष 3 बीघा कृषि भूमि सुमेस्ता पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र, उमेश बुडानिया पुत्र स्व० सुभाषचन्द्र व सुदेश बुड़ानिया पुत्र स्व० सुभाषचन्द्र के हक में छोड दी है तथा कब्जा भी इसी अनुसार दे दिया है हरीश ने अपना चक 5 क्यू का समस्त 1/4 हिस्सा सुमेस्ता पत्नी सुभाषचन्द्र के हक में छोड दिया है तथा कब्जा भी सम्भला दिया है।

(4) यह कि यह परिवारिक समझोता व राजीनामा को मानने के लिये समस्त पक्षकार बाध्य होंगे यदि कोई पक्षकार उक्त परिवारिक समझौता को मानने से इन्कार करेगा तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में हर किस्म की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यह कि अब चक 5 क्यू में प्रथम पक्ष गगन बुडानिया एवं द्वितीय पक्ष के मूल चंद का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा ना ही कभी भविष्य में उक्त दोनों मांग करेंगे और इसी प्रकार चक 6 क्यू में द्वितीय पक्ष के हरीश, सुमेस्ता, उमेश बुडानिया, सुदेश बुडानिया, अनामिका व वेद प्रकाश का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा ना ही वे कभी भविष्य में उक्त कृषि भूमि में कोई मांग करेंगे। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है जिस पक्ष द्वारा आज से पूर्व कृषि भूमि पर बैंक से ऋण–भार प्राप्त किया हुआ है, वह उसे चुकता करवाने हेतु पावंद एवं जिम्मेवार होगा।

खण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(6) यह कि उक्त पारिवारिक समझौता के अनुसार सभी पक्षकार अपने नाम से उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने अपने खर्चे पर दर्ज करवा सकते है तथा पानी की पर्ची भी अपने-अपने नाम से सिंचाई विभाग से जारी करवा सकते है।

(7) यह कि दोनो दावो को समायोजित करते हुये उक्त राजीनामा व समझौते के आधार पर डिक्री करवाने के लिये बाध्य होंगे तथा उक्त राजीनामा/समझौता के आधार पर दोनों पक्षकार एक-दूसरे का सहयोग करेंगे तथा राजस्व रिकार्ड एवं सिंचाई विभाग में पानी की पर्ची आदि बनवाने में भी एक-दूसरे का सहयोग करेंगे तथा कोई आपत्ति एवं एतराज उत्पन्न नही करेंगे ।

यह कि पारिवारिक समझौते के अनुसार वाद निम्नलिखित तरिके से डिक्री फरमाया जावे:-

चक 6 क्यू खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नं 10, 22, 25, कुल 4. 606 हैक0 भूमि में अनामिका पुत्री सुभाषचन्द्र, उमेश बुडानीया पुत्र सुभाषचन्द, सुदेश बुडानिया पुत्र सुभाषचन्द, सुमेस्ता पत्नी सुभाषचन्द, हरीशचन्द पुत्र लाधूराम, वेदप्रकाश पुत्र बृजलाल, का नाम हटाकर वादी गगन बुडानिया व प्रतिवादी मुलचन्द के नाम से खाता संख्या 6/5 मुरब्बा नं 10, 22, 25, कुल 4.606 हैक् भूमि में से 3.795 हैक0 नहरी भूमि बहिस्सा बखार राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमायी जावे, तथा चक 6 क्यू की शेष 0.811 हैक् नहरी/बरानी भूमि राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र श्री लाधुराम के नाम से दर्ज की जाये।

यह कि चक 7 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/42 मुरब्बा नं 40 की 1.283 हैक0 कृषी भूमि में मूलचन्द पुत्र लाधुराम के नाम से दर्ज 396/1583 हिस्सा वादी गगन बुडानिया पुत्र मूलचन्द व प्रतिवादी मूलचन्द पुत्र लाधुराम के नाम से बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज किया जावे।

यह कि चक 5 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/6 मुरब्बा नं 36, 42, 43, की कुल 12.012 हैक0 नहरी कृषि भूमि में से वादी गगन बुडानिया व मूलचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर दोनो के नाम से 6-6 बीघा भूमि अर्थात कुल 12 बीघा भूमि में से 9 बीघा भूमि वेद प्रकाश पुत्र श्री बृजलाल के नाम से तथा शेष 3 बीघा भूमि सुमेस्ता पत्नी सुभाषचन्द, उमेश बुडानिया पुत्र सुभाषचन्द, व सुदेश बुडानिया पुत्र सुभाष चन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

तथा इसी प्रकार चक 5 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/6 मुरब्बा 36, 42, 43, की कुल 12.012 हैक0 नहरी कृषि भूमि में से हरीश पुत्र लाधुराम का 1/4 हिस्सा सुमेस्ता पत्नी सुभाषचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा हरीश पुत्र लाधुराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे। तथा चक 5 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 6/6 मुरब्बा नं 36, 42, 43, की कुल 12.012 हैक नहरी कृषि भूमि में से अनामिका पुत्री सुभाषचन्द का 1/16 हिस्सा अनामिका द्वारा अपने माता का सुमेस्ता पत्नी सुभाषचन्द तथा भाई उमेश बुडानिया सुदेश बुडानिया के हक में तीनो को अपना हक त्याग करने के कारण राजस्व रिकार्ड में अनामिका का हिस्सा तीनो के नाम से बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज फरमाया जावे।

यह कि आज दिनांक से पूर्व उक्त तीनो चक 5 क्यू, 6 क्यू, व 7 क्यू की अपने हिस्सा की भूमि पर जिसका भी कोई कृषि ऋण, मामला, लगान, बकाया कर सोसायटी का बकाया व अन्य बकाया जिस पक्षकार का देय होगा जिसने ऋण आदि प्राप्त किया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हैं, अर्थात अदा करने का दायित्व बनता है वह अदा करने तथा बैंक से एन.ओ.सी. लाने के लिये पाबंद रहेगा।

लिहाजा यह पारिवारिक समझौता एवं राजीनामा समस्त पक्षकारो द्वारा अपनी स्वंतत्र सहमति राजीखुशी बिना किसी दबाव नशा पता के तहरीर करवाया है। सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा दोराने बहस में कथन किये गये कि वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.5.2024 को पारिवारिक समझौता (राजीनामा) पेश किया जा चुका है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबदियों एवम् प्रस्तुत पारिवारिक समझौता(राजीनामा) का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद की सम्पूर्ण भूमि के पैतृक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वाद की सम्पूर्ण भूमि के पैतृक साक्ष्य नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता (राजीनामा) दिनांकित 29.05.2024 अस्वीकार किया जाता है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के पैतृक साक्ष्य के अभाव में न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner